झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
आपराधिक विधिक याचिका संख्या 3820/2022

1. चम्पा देवी,आयु लगभग 70 वर्ष,पति श्री बालकेश महतो ,निवासी मेरल, डाकघर और थाना पाटन, जिला पलामू, राज्य झारखंड
2. रामचंद्र महतो उर्फ कोडू महतो, आयु लगभग 53 वर्ष, पिता स्वर्गीय दुखी महतो, निवासी चैनपुर, करसो, डाकघर और थाना चैनपुर, जिला पलामू, झारखंड

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. शोभा देवी, पति कृष्ण प्रसाद साहू, निवासी लावर पांडु, डाकघर और थाना पांडु, जिला पलामू, झारखंड

... विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिएः श्री. शेओ कुमार सिंह, अधिवक्ता
राज्य के लिए: सुश्री रूबी पांडे अतिरिक्त लोक अभियोजक
विरोधी संख्या 2 के लिए: श्री राज एन. चटर्जी, अधिवक्ता

<u>प्रस्तुत</u>

<u>माननीय न्यायधीश श्री अनिल कुमार चौधरी</u>

न्यायालय द्वारा : दोनों पक्षों को सुना

2. यह आपराधिक विविध याचिका इस न्यायालय की अधिकारिता का उपयोग करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ताओं के खिलाफ डालटनगंज टाउन थाना मामला संख्या 280/2019 में दर्ज एफ.आई.आर. और संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जो भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 406, 417, 420, 423, और 426 के तहत दंडनीय अपराधों से संबंधित है और जो अब धनबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है।

3. याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता और प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 के लिए अधिवक्ता संयुक्त रूप से इस न्यायालय का ध्यान अंतरिम आवेदन संख्या 10987/2023 की ओर आकर्षित करते हैं, जो याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 के अलग-अलग हलफनामे द्वारा समर्थित है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 ने अपने सभी विवादों को अदालत के बाहर सुलझा लिया है। याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि पक्षों के बीच विवाद मूल रूप से एक निजी विवाद है और इसमें कोई सार्वजनिक नीति शामिल नहीं है, और कुछ गलतफहमी के कारण, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ यह झूठा मामला दर्ज किया गया। याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि पक्षों के बीच समझौते के दृष्टिगत, इस आपराधिक कार्यवाही का जारी रहना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, क्योंकि समझौते के अनुसार, याचिकाकर्ताओं की सजा होने की संभावना बहुत कम और धूमिल है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि डालटनगंज टाउन थाना मामला संख्या 280/2019 में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. और संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही, जो अब धनबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है, को रद्द किया जाए

और निरस्त किया जाए।

4. राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रस्तुत करते हैं कि पक्षों के बीच समझौते के दृष्टिगत, राज्य को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ डालटनगंज टाउन थाना मामला संख्या 280/2019 में दर्ज एफ.आई.आर. और संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने पर कोई गंभीर आपत्ति नहीं है, जो अब धनबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है।

5. दलीलों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत ने **पारबतभाई आहीर @ पारबतभाई भीमसिंहभाई कर्मूर और अन्य बनाम गुजरात राज्य** और अन्य मामले में, जिसकी रिपोर्ट **(2017) 9 एससीसी** में की गई है, ने पक्षों के बीच समझौते के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता पर विचार करने का अवसर प्राप्त किया और पैराग्राफ संख्या 11 में निम्नलिखित कहा:

धारा 482 एक अधिराज्य प्रावधान के साथ प्रारंभ होती है। यह अधिनियम उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को सुरक्षित करता है, जो एक उच्च न्यायालय के रूप में आवश्यक आदेश देने के लिए है (i) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए; या (ii) अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए। गियान सिंह [गियान सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में, (2012) 10 एससीसी 303 : (2012) 4 एससीसी (सिविल) 1188 : (2013) 1 एससीसी (आपराधिक) 160 :(2012) 2 एससीसी (एलएंडएस) 988], इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस विषय पर पूर्ववर्ती निर्णयों का उल्लेख किया और उन मार्गदर्शक सिद्धांतों को स्थापित किया जिन्हें उच्च न्यायालय को अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते समय एफ.आई.आर. या शिकायत को रद्द करने के संबंध में विचार करना चाहिए। उच्च न्यायालय के समक्ष विचार करने वाले मुद्दे हैं: (एससीसी पृष्ठ 342-43, पैराग्राफ 61)

> *" 61 ... उच्च न्यायालय की शक्ति किसी आपराधिक कार्यवाही या एफ.आई.आर. या शिकायत को उसके अंतर्निहित अधिकारिता के तहत रद्द करने की शक्ति, धारा 320 के तहत आपराधिक न्यायालय को अपराधों के समेटने के लिए दी गई शक्ति से भिन्न और अलग है। अंतर्निहित शक्ति व्यापक होती है और इसका कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन इसे ऐसी शक्ति में निहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार प्रयोग में लाना चाहिए, अर्थात: (i) न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए, या (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। किस मामलों में आपराधिक कार्यवाही या शिकायत या एफ.आई.आर. को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, जहां अपराधी और पीड़ित ने अपने विवाद को सुलझा लिया है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती। हालांकि, ऐसी शक्ति का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता का उचित ध्यान रखना चाहिए। मानसिक विकृति के गंभीर और घृणित अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती जैसे अपराधों को उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता, भले ही पीड़ित या पीड़ित का परिवार और अपराधी ने विवाद सुलझा लिया हो। ऐसे अपराध निजी स्वभाव के नहीं होते हैं और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार, विशेष अधिनियमों जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों या सार्वजनिक सेवकों द्वारा उस क्षमता में काम करते समय किए गए*

अपराधों के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच कोई समझौता आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द करने का आधार प्रदान नहीं कर सकता। <u>लेकिन जिन आपराधिक मामलों में स्पष्ट रूप से नागरिक स्वरूप होता है, वे रद्द करने के उद्देश्य से अलग स्थिति में होते हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, नागरिक, साझेदारी या इसी प्रकार के लेन-देन से उत्पन्न अपराधों या दहेज आदि से संबंधित विवाह संबंधी अपराधों या पारिवारिक विवादों में जहां गलत करना मूलतः निजी या व्यक्तिगत स्वभाव का होता है और पक्षों ने अपने सभी विवाद सुलझा लिए हैं।</u> इस श्रेणी के मामलों में, यदि उच्च न्यायालय का मानना है कि अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण सजा होने की संभावना बहुत कम और धूमिल है और आपराधिक मामले का जारी रहना आरोपी पर अत्यधिक उत्पीड़न और पूर्वाग्रह डालेगा और उसे न्यायिक अन्याय का सामना करना पड़ेगा यदि आपराधिक मामला रद्द नहीं किया गया तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है। अन्य शब्दों में, उच्च न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या आपराधिक कार्यवाही का जारी रहना अन्यायपूर्ण होगा या न्याय के हितों के विपरीत होगा। यदि उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का पूरा अधिकार होगा।"

6. रिकॉर्ड की जांच से यह स्पष्ट होता है कि इस मामले में शामिल अपराध घृणित अपराध नहीं हैं और न ही मानसिक विकृति का कोई गंभीर अपराध है; बल्कि यह पक्षों के बीच एक निजी विवाद से संबंधित है।

7. अपराधियों और पीड़ित के बीच पूर्ण समझौते के कारण, याचिकाकर्ताओं की सजा होने की संभावना बहुत कम और धूमिल है, और आपराधिक मामले का जारी रहना याचिकाकर्ताओं पर अत्यधिक उत्पीड़न और पूर्वाग्रह डालेगा। यदि आपराधिक मामले को रद्द नहीं किया गया, जबकि पीड़ित के साथ पूर्ण और संपूर्ण समझौता और सुलह हो चुकी है, तो उन्हें अत्यधिक अन्याय का सामना करना पड़ेगा।

8. इसलिए, यह न्यायालय इस विचार पर है कि यह ऐसा मामला है जहां याचिकाकर्ताओं के खिलाफ डालटनगंज टाउन थाना मामला संख्या 280/2019 में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. और संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही, जो अब धनबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है, को रद्द किया जाए और निरस्त किया जाए।

9. इस प्रकार,डालटनगंज टाउन थाना मामला संख्या 280/2019 में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. और संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही, जो अब धनबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है, को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ रद्द किया जाता है और निरस्त किया जाता है।

10. परिणामस्वरूप, अतः, यह आपराधिक विविध याचिका स्वीकार की जाती है।

11. इस आपराधिक विविध याचिका के निपटारे के दृष्टिगत, अंतरिम आवेदन संख्या 10987/2023 भी उसी अनुसार निपटारा किया जाता है।

(श्री अनिल कुमार चौधरी, न्यायधीश)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 18 दिसंबर 2023
ए.एफ.आर/ अनिमेष

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|